Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

ललित भाटी बनाम हेमंत भाटी

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद सं. नम्बर 304 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08-07-2025	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के जरिये प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 03–04–2025 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र यह जाहिर किया कि वादी ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लघंन हेतु प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी ने प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। दिनांक 29.11.2024 को मामले में विवाद्यक विरचित किये गये थे, परन्तु वादी एवं प्रतिवादी के समस्त अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित नहीं हो पाये है। दोनों पक्षों द्वारा मांगे गये अनुतोष के लिये आवश्यक एवं उचित विवाद्यकों का विरचन किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा स्वयं की भागीदारी फर्म शंकर सिंह एण्ड संस का भागीदार होना बताया है, जब कि प्रतिवादी का यह कथन है कि वादी द्वारा वर्ष 1992 में भागीदारी फर्म के विघटन का नोटिस दिया गया एवं वर्ष 1993 में उक्त भागीदारी फर्म का पुनर्गठन किया गया और इस संबंध में विवाद्यक का विरचन किया जाना है कि क्या वादी प्रस्तुत वाद दायर करने के समय भागीदारी फर्म शंकर सिंह एण्ड संस का भागीदार के रूप में कार्यरत रहा अथवा भागीदारी फर्म का पुनर्गठन वर्ष 1993 में हो गया। उपरोक्त तथ्य मामले का महत्वपूर्ण तथ्य है, जिस बाबत विवाद्यक कायम किया जाना आवश्यक है कि क्या वादी भागीदारी फर्म मैसर्स शंकर सिंह एण्ड संस का भागीदार हैं? इसके अतिरिक्त प्रार्थी/प्रतिवादी का यह भी कथन है कि वर्ष 1992 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 20 मध्यस्थ अधिनियम में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने के पश्चात् प्रकरण में समझौता होने के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है और बदनियति से वाद प्रस्तुत किया गया है, चुंकी प्रकरण में अभी साक्ष्य प्रारम्भ नहीं हुई है, अतः उक्त तनकियात कायम की जावें, ताकि मामले का उचित निवारण हो सकें। खण्डन में विपरीत पक्ष द्वारा यह जाहिर किया गया कि यह प्रार्थना पत्र मामले में देरी करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों को सुना जाकर प्रारम्भिक तनकियात कायम की गई, जिस पर किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी। तनकियात दिनांक 29.11.2024 को कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दिनांक 12.12.2024 को नियत की गई थी, प्रकरण में लगभग 10 तनकियात कायम की गई, जिसमें	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	प्रस्तावित बिन्दू, तनकी सं. 1 और 2 में समाहित है। मात्र न्यायालय को गुमराह किये जाने की नियत से उक्त तनकियात कायम किया जाना प्रस्तावित किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में वादी ने वाद स्थाई निषेधाज्ञा का अंतर्गत ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 प्रस्तुत किया है तथा यह जाहिर किया है कि पंजीकृत ट्रेडमार्क सं. 433834 के समान ट्रेडब्राण्ड लेबल तथा फर्मनेम शंकर सिंह एण्ड संस के नाम से बीडी निर्माण या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का अन्य कोई कार्य विक्रय, विज्ञापन, संवर्धन, सूचना व व्यवसाय आदि का कार्य किये जाने से विपरीत पक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंदित किया जावें और यदि उक्त फर्म के नाम से कोई कार्य प्रतिवादी द्वारा कर लिया गया है तो उसे जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा नष्ट कराया जावें। यहाँ यह गौर तलब है कि विपरीत पक्ष प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे के साथ प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया है, उक्त प्रतिदावे में भी प्रतिवादी द्वारा भी यहीं अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी के लेबिल, ट्रेडमार्क शंकर छाप बीड़ी या इसके समान कोई शब्द अथवा भ्रामक रूप से मिलता जुलता ट्रेडमार्क, लेबिल इस्तेमाल, उत्पादन, बेचने, बेचने के प्रयोजनार्थ, विज्ञापन अथवा चित्रण प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तरीके से किसी प्रकार से इस्तेमाल किये जाने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंदित किया जावें तथा प्रतिवादी के पंजीकृत लेबल ट्रेडमार्क सं. 423834 अंतर्गत क्लास 34 का माल बीड़ी के संबंध में प्रयोग कर उल्लघंन ना करें। प्रस्तुत मामले में विरचित की गई तनकियात को देखा गया, चूंकि वादी द्वारा भी ट्रेडमार्क शंकर छाप बीड़ी का स्वयं के पिता के नाम पंजीकृत होना बताया है, जब कि प्रतिवादी द्वारा भी उक्त ट्रेडमार्क को स्वयं का होना बताया गया है। चूंकि दोनों ही पक्षों द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, किसी भी प्रकार की घोषणा किये जाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, अतः स्थाई निषेधाज्ञा के मामले में किसी प्रकार का कोई मालिकाना हक घोषित नहीं किया जाना है। वादी एवं प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर कायम की गई तनकियात 1 लगायत 10 प्रतिवादी द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं को समाहित करती है, पृथक से प्रस्तावित की गई तनकियात को कायम किये जाने का अब कोई औचित्य नहीं है परन्तु यहां यह कहना उचित होगा कि प्रस्तुत मामले में जरिये जवाब दावा प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में तनकियात कायम किया जाना शेष है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाकर अतिरिक्त तनकियात निम्नानुसार कायम किया जाना उचित पाया जाता है। 1–आया प्रतिवादी, वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंदित करवाने का वैध अधिकारी है कि वादी या उसकी ओर से कोई अन्य विवादित लेबल ट्रेडमार्क शंकर छाप बीड़ी या इसके समान कोई शब्द, ट्रेडमार्क/लेबल इस्तेमाल, उत्पादन, बेचने, बेचने के प्रयोजनार्थ, विज्ञापन अथवा चित्रण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से इस्तेमाल स्वयं के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	व्यापार, उत्पादन और विपणन बीड़ी या अन्य माल जो सजातीय हो का इस्तेमाल नहीं करें? 2–आया वादी, पंजीकृत कॉपीराइट लेबल पंजीकरण संख्या ए–73171/2005 का उल्लघंन करने पर आमादा है? 3– आया वादी, प्रतिवादी के पूर्व लिखित लेबल ट्रेडमार्क के साज सज्जा, रंग मिश्रण, नक्शा, स्कीम एवं ट्रेड ड्रेस का पासिंग आफ करने पर आमादा है? 4– आया वादी, प्रतिवादी के पंजीकृत लेबल ट्रेडमार्क सं. 423834 अंतर्गत क्लास 34 का माल बीड़ी के संबंध में प्रयोग कर उल्लघंन किये जाने बाबत आमादा है? 5– आया प्रतिवादी, यदि वादी द्वारा प्रतिवादी के ट्रेडमार्क/ लेबिल जिसमें स्ट्रीप्स, प्रतिवादिक माल की पैकिंग, पैकिंग सामग्री, केरी बैग्स, स्टिकर, ब्लॉक, डाइज और ऐसे अभिशंषी सामग्री मय डिस्पले बोर्ड और साईन बोर्ड एवं व्यापारिक साहित्य को जरिये वादी नष्ट करवाऐ जाने का वैध अधिकारी है? उभयपक्ष मामले में विहित अवधि में लिस्ट गवाहान पेश करें तथा प्रकरण चूंकि टारगेटेड पत्रावलियों में शामिल है, अतः समस्त साक्ष्य के शपथ–पत्र आगामी तारीख पेशी पर पेश करें। पत्रावली वास्ते उक्तानुसार हेतु दिनांक..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –4–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के जरिये प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 141 व 151 सीपीसी दिनांकित 21.3.18 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र यह जाहिर किया कि वादीगण द्वारा वाद–पत्र की मद सं. 1 में वर्णित संपत्ति के मालिक मूलचन्द व लदाराम थे, मूलचन्द के देहान्त के बाद उक्त संपत्ति के आधे हिस्से के मालिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं हरीश कर्मचन्दानी एवं प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती जानकी देवी है, तथा हरीश कर्मचन्दानी का देहान्त हो गया, जिनकी पत्नी व दो पुत्रियां है, हरीश, वादी सं. 1 का मामा है एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 का सगा भाई होने से उस पर विश्वास कर मुख्तयारनामा दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 गोद जाने के बाद से चचेरा भाई हो गया। हरीश एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने यह वचन दिया था कि वे वादीगण, प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 की सहमति से ही संपत्ति में जो आधा हिस्सा है, उस आधे हिस्से को हस्तान्तरित करेंगे और प्रतिफल राशि के बराबर हिस्से रखेंगे, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 और हरिश ने मिलीभगत करके बिना वादीगण से पूछे बिना सहमति के वादग्रस्त संपत्ति के आधे भाग का विक्रय कर दिया जो विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2013 वादी के विरूद्ध शून्य है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 नगर निगम, अजमेर से मिलीभगत करके संपत्ति को स्वयं के नाम हस्तान्तरित करवाऐ जाने पर आमादा है, जब कि वादग्रस्त संपत्ति का दावा विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाये जाने का न्यायालय में लंबित है। अतः नगर निगम, अजमेर मामले में आवश्यक पक्षकार है और नगर निगम, अजमेर को आवश्यक पक्षकार बनाते हुऐ वादीगण प्रार्थना–पत्र में वर्णित संशोधन किया जाना भी आवश्यक होंगा। नगर निगम, अजमेर को पक्षकार बनाकर स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा जाना लाजिमी है, अतः वांछित संशोधन वाद–पत्र में किया जाना भी आवश्यक होंगा। अपने पक्ष के समर्थन में निम्न	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –5–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। 01– 2002 (2) सी सी सी. (राजस्थान) 125, 02– 2014 (1) सी सी सी. 96, 03– 2019 (1) सी सी सी. 552, 04– 2012 (1) सी सी सी. (एस.सी) 731, विपरीत पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुऐ जवाब में यह जाहिर किया है कि वादीगण जानबूझकर हस्तान्तरण शब्द का गलत प्रयोग कर रहा है। विक्रय पत्र के आधार पर गृहकर हेतु नामान्तरण कराया जाना प्रतिवादी का विधिक कर्तव्य है, जिससे नियमानुसार हाऊस टेक्स जमा हो सकें। नगर निगम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अर्न्तगत अपना कार्य करती है। गृहकर हेतु उचित कार्यवाही का अधिकार नगर निगम को है, यह स्थापित विधि है। प्रतिवादी के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र किसी भी आधार पर अवैध व शून्य नहीं है। प्रतिवादी/उत्तरदाता को विधि अनुसार अपने हक में संपत्ति का नामान्तरणकरण निगर निगम, अजमेर से अपने नाम कराये जाने का विधिक अधिकार है। वादी/प्रार्थी द्वारा वाद–पत्र में जिस प्रकार का संशोधन चाहा गया है वह भी अविधिक है। नगर निगम से चाहा गया अनुतोष प्रमाणिक संशोधन नहीं है एवं नगर निगम किसी भी प्रकार से मामले में आवश्यक पक्षकार नहीं है, ना ही नगर निगम के विरूद्ध कोई वादकारण ही उत्पन्न होता है। नगर निगम को बिना विधिक प्रक्रिया व सूचना पत्र के दिये वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया है। 2024 (4) सी.जे. (सिविल) राजस्थान 2190 उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त न्याय निर्णयन का ससम्मान अध्ययन किया, उक्त न्याय निर्णयन में प्रतिपादित सिद्धांतों का आदेश में यथास्थान ध्यान रखा जाऐगा। प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2013 को अवैध व शून्य घोषित कराये जाने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। मूल रूप से अप्रार्थी/ प्रतिवादी का यह विरोध है कि नगर निगम मामले में किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार नहीं हो सकती, क्योंकि वाद विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, मात्र विक्रय पत्र के पक्षकार ही मामले में आवश्यक पक्षकार माने जा सकते है तथा नगर निगम को कोई विधिक नोटिस भी दो माह पूर्व नहीं दिया गया है। उक्त आपत्तियों के मध्ये नजर पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नगर निगम, अजमेर में वादग्रस्त विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं के पक्ष में नामान्तरण कराये जाने हेतु चाराजोही की गई है। जिनमें से नगर निगम में की गई कार्यवाहियों की आदेशिकाऐ पत्रावली पर पेश की गई है। यह सही है कि नगर निगम विवादित विक्रय पत्र का पक्षकार नहीं है, परन्तु विवादित संपत्ति के संबंध में नगर निगम में विक्रय पत्र के किसी भी पक्ष द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –6–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	कार्यवाही किया जाना सम्भव है। दावा निर्णित होने तक वादग्रस्त संपत्ति को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है, नगर निगम मामले में आवश्यक पक्षकार नहीं भी हो तो भी वर्णित परिस्थितियों के मध्येनजर नगर निगम को प्रोपर पक्षकार माना जा सकता है। विधिक प्रावधानों के मध्येनजर उचित पक्षकार भी आवश्यक पक्षकार है, जिसकी उपस्थिति वाद में आवश्यक तो नहीं है, परन्तु मामले के उचित न्याय निर्णयन के लिये वांछित है। वाद अभी आरम्भिक स्तर पर है, उक्त पक्षकार को जोड़े जाने से विपरीत पक्ष को किसी प्रकार की हानि होना प्रकट नहीं होता है। जहाँ तक विधिक नोटिस का प्रश्न है तो वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नगर निगम से चाहा गया है, जिसके तहत विधिक नोटिस दिये जाने से विधिक प्रावधानों के मध्येनजर छूट प्रदान की जा सकती है। अतः उक्त तथ्य परिस्थितियों एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश किये जाने संशोधित टाईटल व संशोधित वाद–पत्र हेतु दि. ..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –7–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए